

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गाह (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा सिविल 2025 कैम्प स्थल - शोल्या)



धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 216/25

दापर दिनांक 27.9.2025

निर्णय दिनांक 27.09.2025

रिपोर्ट

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश	
1	<u>शोल्या</u>		महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि	तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.सा.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>शोकेश</u> प.ह. <u>शोकेश</u> खालास <u>1.89</u> में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ़ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			हस्ताक्षर प्रवर्तक	हस्ताक्षर गिरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

प्रतिनिधि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल शोल्या को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चितौड़गाह

तहसीलदार कपासन
तहसीलदार(भू.अ.) कपासन